न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 66/2022(GCMS 2022/)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **पलविन्द्र सिंह** पुत्र हरनेक सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,** तहसील श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 3 बी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 20 के बीघा नं. 10, 11, 20 व 21 में से भूमि अवाप्ति हेतु **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई,** जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. में निहित हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित संरचनाओं/परिसंपत्तियो यथा पेड़ पौधों आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरूद्ध जाकर अपने उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MORTH भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी **A Manual od Guideline on land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड़, सरंचना/परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा** तथा धारा 3ए की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पये पेड़–पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 31.03.2021 को पारित कर दिया गया, इसलिये अवाप्त भूमि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़–पौधो के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद पेड़–पौधों की आयु, प्रजाति, पौधे ... क्षमता, स्थिति आदि मानकों से सबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया जानाा न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कुछ भी नही किया गया, इसलिये **सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़—पौधों का पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 18.06.2021 की मौकास्थिति अनुसार **समस्त पौधों में से किन्नू के 562 पौधों की आयु 5 वर्ष व करोंदे के 40 पौधों की आयु 2 वर्ष मानी जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार प्रश्नगत किन्नू के 562 पौधों की आयु 2 वर्ष से कम व 40 करौंदे के पौधें मौके पर नहीं होना साबित होते है। ऐसी दशा मे अप्रार्थी खातेदार के 562 किन्नू के पौधों की आयु 2 वर्ष से भी कम होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत ही आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है,** क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये किन्नू के पौधे / वृक्ष पास—पास में रोपित किये गये है, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़—पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, सिंचाई विभाग आदि से प्रश्नगत पौधों के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.20218 से पूर्व प्रश्नगत पौधों का गिरदावरी में कोई अंकन नहीं था, इस प्रकार [illegible] अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों का कोई मुआवजा [illegible] लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जाँच [illegible] के समय की मौकास्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के विरूद्ध तैयार मूल्याकंन रिपोर्ट के अनुसार उक्त किन्नू के 562 किन्नू के पौधों की सम्पूर्ण आयु के हिसाब से एवं 40 करौंदे के पौधों का आधार मूल्य के हिसाब से नियम विरूद्ध मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 22.04.2022 को अवार्ड पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.06.2021 में प्रश्नगत पौधों की आयु 4 वर्ष व 2 वर्ष बतायी है, जबकि अप्रार्थी खातेदार ने जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज ड्रिप / माइक्रो स्पिंकलर की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 02.07.2017 के नीचे के क्रम संख्या 6 में किन्नू के पौधे रोपित होना प्रस्तावित है अर्थात उक्त दिनांक 02.07.2017 तक भी अवाप्त भूमि पर किन्नू के पौधे रोपित नहीं थे। अतः सहायक निदेशक उद्यान द्वारा तैयार मूल्याकंन रिपोर्ट में प्रश्नगत पौधो की आयु धारा 3ए अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार निर्धारित नही होना साबित होती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी खातेदार जवाब में व सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने दौराने बहस पत्रांक 6419 दिनांक 07.02.2023 से न्यायालय में बताया कि विभाग से वर्ष 2016–17 में अनुदान मिलने के बाद प्रश्नगत पेड़–पौधें लगाये गये है। अप्रार्थी खातेदार द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज ड्रिप / माइक्रो स्पिंकलर की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 02.07.20217 के अंत की बिन्दु संख्या 06 में मौके पर बोई जाने वाली फसल का विवरण किन्नू प्रस्तावित होना वर्णित है, अर्थात दिनांक 02.07.2017 तक अवाप्त भूमि पर किन्नू के पौधें रोपित नहीं थे, तो वर्ष 2016–17 में प्रश्नगत भूमि पर किन्नू के पौधें होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी खातेदार विधि अनुसार साबित कर देता है कि 3ए की अधिसूचना से पूर्व के पौधे अनुदानित होकर रोपित थे, तो ऐसी दशा में श्रीमान् द्वारा संबंधित अनुदानित विभाग से अनुदान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली तलब कर यह जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि अप्रार्थी खातेदार को कौनसे मुरब्बा / किला के कितने रकबे की भूमि हेतु अनुदान कब मिला था व अनुमोदन मिलने के उपरान्त प्रश्नगत पेड–पौधे अवाप्तधीन भूमि पर कब रोपित किये गये थे और क्या उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार उचित विन्यास / दूरी पर प्रश्नगत पेड–पौधे रोपित किये हुए है, आदि–आदि की जांच गूगल इमेज, खसरा गिरदावरी, पटवारी द्वारा पौधों की आयु व संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि से करने पर जाहिर हो जायेगा कि अप्रार्थी खातेदार भूमि पर प्रश्नगत रोपित पौधे भूमि अवाप्ति प्रक्रिया व उद्यान विभाग के मापदण्डों के सरासर विरूद्ध है, जिनका अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इसिलए अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड़ श्रीगंगानगर का पत्र क्रमांकः–एफ / 2022–23 / 387 दिनांक 04.05.2022 में ऐसे पौधे जो उद्यान विभाग के मापदण्ड़ानुसार रोपित नही किये गये, उन पौधों का केवल आधार मूल्य ही मुआवजा राशि के रूप में दिया जाना उचित माना है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा गिरदावरी / पटवारी द्वारा पौधों की आयु व संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि की जाँचोपरान्त प्रश्नगत पौधे धारा 3ए से पूर्व रोपित होकर उद्यान विभाग के मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते है, तो उन पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपयुक्त जाँच के बिना पारित अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों [illegible] मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, [illegible] की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र [illegible] पौधों की मूल्याकंन रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर **06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्यांकित राशि 14220/– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रींगानगर ने किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान है।** अतः किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि को कम हुए आलौच्य अवार्ड संशाधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा राशि के निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव तय करने में कोई स्पष्टता/पारदर्शिता नही है। **सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधो का बाजार भाव व उम्र नियम विरूद्ध तय किया है।** इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जाँच करवाकर बाजार भाव, उम्र व रोपित करने के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे सभी पौधे समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता की जांच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च/लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, इसलिये अवाप्त पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए। अतः आलौच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्याकंन किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में भी कर दिया गया है। जबकि सामीवर्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राज्यों में राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं उक्त शेष आयु में होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुये मुल्यांकन किया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा समुचित साक्ष्य ली जाकर मुआवजे का पुनरावलोकन कर मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित पेड़—पौधो का संरचना अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त कर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य कोई विधि सम्मत आदेश, जो श्रीमान मध्यस्थ महोदय, प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में उचित समझे पारित करने की कृपा करे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 3 बी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 10, 11, 20, 21 की भूमि अवाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को प्रकाशित की गयी थी, उसके बाद अवाप्त की कार्यवाही की गयी, 21 दिन का नोटिस दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतराज पर सुनवाई कर दिनांक 31.03.2021 को भूमि का अवार्ड जारी किया और दो समाचार पत्रों में दिनांक 31.08.2021 को प्रकाशित करवाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग एवं जयपुर की टीम के साथ जाकर पौधों का [illegible] किया गया है और उसके धारा 3डी के तहत अन्तिम [illegible] प्रेषित की गयी, जिस पर केन्द्र सरकार ने उसका फाईनल नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया। सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार मे निहित नहीं होती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जब तक पोजेशन लेने से पहले राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। विचाराधीन प्रकरण में आज तक राशि खातेदार के नाम से जमा नहीं करवाई गई है इसलिए विल्लंगमों से मुक्त भारत सरकार में भूमि निहित नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि पेड़ पौधे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2016–17 लगाये गये है, उसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया। **धारा 3 बी के अनुसार उत्पन्न फायदे व भूबद्ध चीजें व स्थाई रूप से जकड़ी हुई चीजे भूमि की परिभाषा में आती है।** इसलिए मुआवजा कब्जा लेते समय की स्थिति का होना चाहिए न कि धारा 3(ए) के अनुसार।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते है। इसमें केवल एनएच की धारा 3ए के प्रावधान ही लागू होते है, उसके अनुसार खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में दी गई है वह दिनांक 02.04.2018 को पेड़ पौधों की आयु को ध्यान में रखते हुए, मुआवजा तय किया गया है। दिनांक 22.04.2022 का अवार्ड विधिसम्मत पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान, गंगानगर व जयपुर तथा संयुक्त निदेशक विभाग, गंगानगर द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी [illegible] 22.04.2022 विधिसम्मत पारित किया गया है । कोई [illegible] धारा 3ए की अधिसूचना से पहले ही 2016-17 [illegible] है जो दिनांक 18.06.2021 में रिपोर्ट पेश की है वह 02.04.2018 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की गयी है। अप्रार्थी का बाग ड्रिप से सिंचित है, जिसमें पौधे 6X3 और 6X4 के हिसाब से लगे हुए है। गिरदावरी की नकल शामिल है। तीन तीन कमेटियों द्वारा मौका पर जांच की गयी है। प्रार्थी का बाग अनुदानित बाग है। होर्टीकल्चर विभाग से अनुदान लेकर लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा बहस में तथ्य बढा चढा कर दर्ज किये गये है, जो विचारणीय नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के बाग में किन्नू के 562 पौधों की आयु 5 वर्ष व 40 पौधों की आयु 2 वर्ष मानकर रिपोर्ट तैयार की गई है। **अप्रार्थी के पौधे वर्ष 2016–17 से लगे हुए है।** प्रार्थी के किन्नू का बाग एडमिट है। प्रार्थी अपना बर्डन अदालतवाला या अप्रार्थी पर नहीं डाल सकता। यह प्रार्थी का कर्तव्य था कि यह साबित करें कि मौके पर बाग नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के जो 562+40 पौधे हैं वे 2016–17 में लगाये थे और 2019 में फल देने लग गये, उसके बाद किन्नू की उम्र 30 वर्ष है तो 30 वर्ष तक उसके फल से अप्रार्थी वंचित हुआ है। विभाग द्वारा तो अप्रार्थी को 25 वर्षो का ही क्लेम दिया है जबकि उसे 30 वर्षो का क्लेम दिया जाना चाहिये।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के किन्नू के पौधे है जिसके सर्वे हेतु सम्बन्धित भूआवाप्ति अधिकारी द्वारा अप्रैल 2021 में सहायक निदेशक उद्यान को आदेशित किया गया था, जिसके तहत 2021 में सहायक निदेशक उद्यान को आदेशित किया गया था जिसके तहत 2021 में सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा कर रिपोर्ट पेश की गयी है। जिसमें एक ही जगह किन्नू का बाग लगा हुआ है। जिसमें अब प्रार्थी कहता है कि अब 02.04.2018 में पांच वर्ष है जबकि यह रिपोर्ट 02.04.2018 की ध्यान में रखते हुए 2021 में पेश की है। जिसकी बागवानी की पुस्तिका की नकल शामिल है। केवल यह कहना कि उसकी उम्र 2018 में 5 वर्ष थी, इसलिए उसका आधार मान जावे, यह कतई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

संभव नहीं है। तीन वर्ष के बाद पौधा फल देने लगता है और तीस वर्ष तक फल देता है। इसलिए अप्रार्थी तीस वर्ष का ही क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए पैटीशन काबिले खारिजी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पौधे लगाये है। अप्रार्थी के खिलाफ आधार केवल यह है कि अप्रार्थी के पौधे पांच वर्ष के है। जबकि प्रार्थी के पौधे पांच वर्ष के फल दे रहे थे। उसके फल की पैदावार मानते हुए क्लेम प्राप्त करने का अप्रार्थी अधिकारी हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ में डैजर्ट एरिया है और वहां गंगानगर के अपेक्षा गर्मी ज्यादा पड़ती है। गंगानगर के लायलपुलिया के बाग के किन्नू नेपाल तक मशहूर है और जयपुर तक भी जाते हैं गंगानगर के किन्नू की वैरायटी अलग है उसे हनुमानगढ व सूरतगढ से नाहीं मापा नहीं जा सकता। आवेदन पत्र में बढ़ाचढ़ाकर तथ्य दर्ज किये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान द्वज्ञरा पौधों की उम्र किन्नू वैज्ञानिक डॉ. एम.के.कॉल तथा किन्नू का भाव कृषि उपज मण्डी समिति से नियमानुसार लिया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर राशि जमा नहीं करने के लिए यह सारी कार्यवाही लम्बी की जा रही है और बिना अधिकार है जो काबिले खारिजी है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रांर्थी पलविन्द्र सिंह की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई जिसमें अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की भूमि चक 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 10, 11, 20, 21 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से कुल 3,40,39,516/— रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 3,40,39,516/— तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, अप्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

(7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;

(c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of such assets is captured, as early as possible, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gazette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित **राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।**

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो दिनांक 25.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौक निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को अवाप्त की गई भूमि पर कुल 562 किन्नू के पौधें एवं 40 करौंदे के पौधे पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, सहायक प्राध्यपक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल ईमेज के आधार पर कोई बाग के रूप में कोई पौधे अस्तित्व में नहीं थे इसलिए अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर मुआवजा देय नहीं बनता है।**

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के [illegible] कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 562 किन्नू के पौधे 5 वर्ष के एवं 40 करौंदे के पौधे 2 वर्ष के बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2021 में उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 18.06.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 562 किन्नू के पौधों की आयु 5 वर्ष एवं 40 करौंदे के पौधों की आयु 2 वर्ष बताई गई है। **उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि** कुल 562 किन्नू के पौधे बताये गये है, जो दिनांक 18.06.2021 करे 5 वर्ष के बताये गये है और 40 करौंदे के पौधे बताये गये है, जो दिनांक 18.06.2021 को ही 2 वर्ष के बताये गये है। इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त 562 किन्नू के पौधे की आयु केवल 1 वर्ष 10 माह (लगभग 2 वर्ष) की बनती है और 40 करौंदे के पौधे अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 अस्तित्व में होने नहीं पाए जाते है। **इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 18.06.2021 की स्थिति के अनुसार जो मुआवजा राशि 3,40,39,516/— रूपये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मा[illegible] है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 562 किन्नू के पौधों की आयु 01 वर्ष 10 माह बनती है, **जो दो वर्ष से कम अवधि के है। तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालतय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162–4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार – मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) – पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जो दो वर्ष के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 662/– रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि (662X3=)1986/– रूपये बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 562 पौधों की मुआवजा राशि 11,16,132/– रूपये बनती है। इस प्रकार सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 3,40,39,516/– बनाई गई है जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 11,16,132/– रूपये बनती है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर बाग अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवज राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 3,29,23,384/– रूपये अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ, उद्यानिकी विकास हेतु राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना [illegible] अनुदानित/सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक [illegible] है। **उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप/माईक्रो स्पिंकलर भौतिक सत्यान** [illegible] **भी प्रस्तुत की है, जिस पर दिनांक 02.07.2017 अंकित है। जिसमे मौके पर बोई गई फसल में किन्नू**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रस्तावित अंकित है।</u> इससे स्पष्ट है कि <u>अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की अवाप्त की गई भूमि पर दिनांक 02.07.2017 तक कोई बाग अस्तित्व में नहीं था</u> अर्थात <u>वर्ष 2016—17 तक अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की अवाप्त की भूमि पर किसी प्रकार का बाग मौजूद नहीं थी।</u> अप्रार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व बाग स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ था और दिनांक 02.07.2017 तक अप्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि पर कोई बाग मौजूद नहीं था। अप्रार्थी द्वारा 3ए अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व की कोई गिरदावरी पेश नहीं की है जिससे ये स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा बाग स्वीकृत होने के पश्चात कितने समय बाद किन्नू के पौधे रोपित किये गये है। जबकि राजस्थान भू—अभिलेख अधिनियम 1957 के अनुसार प्रत्येक वर्ष समय समय पर गिरदावरी की जाती है। राजस्थान भू—अभिलेख अधिनियम 1957 के रूल्स 58 के अनुसार गिरदावरी हेतु किये जाने वाले दौरे का आरम्भ और उसकी समाप्ति की दिनांक निम्न होगी :

नाम (फसल)	दिनांक प्रारम्भ होने की	दिनांक पूरा होने की
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उल्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मई

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह दिनांक 18.11.2016 को बाग हेतु अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। उद्यान विभाग की ड्रिप/माईक्रो स्पिंकलर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 02.07.2017 के [illegible] के अनुसार भी **<u>अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की अवाप्त की गई भूमि पर [illegible] प्रस्तावित अंकित है।</u>** इसी प्रकार अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह ने अपनी लिखित बहस के साथ आर.ए.सी.पी. फर्टीगेशन भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उद्यान विभाग ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

हस्ताक्षर के साथ दिनांक 26.10.2017 अंकित की है, जिसके बिन्दु संख्या 2 में बोई गई फसल का विवरण किन्नों अंकित किया है। इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी की अवाप्त भूमि पर किन्नू के पौधो रोपित किये गये थे, जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी की भूमि पर धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को किन्नू के पौधों की आयु लगभग 05–06 माह की थी, जिससे अप्रार्थी बाग के रूप में कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.200 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष ....

गांव का नाम ....　　गिरदावर वृत ....

तहसील ....　　जिला.................................

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल .... भू.अ.नि.वृत .... तहसील ....

जिला .... वर्ष ....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	[illegible]	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	[illegible]	10	[illegible]	12	13	14

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील ....

जिला श्रीगंगानगर संवत .... वर्ष 2022–23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमें फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसम फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ–1 एवं 2 मुरब्बा नं. 3 व किला नं 1 ता 10 में स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित गिरदावरियां प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार बाग के रूप में कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु 5 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 3,40,39,516/— रूपये अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी पलविन्द्र सिंह की हद तक खारिज किया जाता है। **सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था, तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 को ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, 02 माह में अवार्ड जारी करें।** आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर